



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-19012026-269441
CG-DL-E-19012026-269441

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 44]

नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 19, 2026/पौष 29, 1947

No. 44]

NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 19, 2026/PAUSHA 29, 1947

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 जनवरी, 2026

सा.का.नि. 44(अ).— अखिल भारतीय सेवाएं अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा सरकार के परामर्श से भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, नामतः -

- (1) इन नियमों को भारतीय वन सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2026 कहा जा सकेगा।
(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- भारतीय वन सेवा (वेतन) नियमावली, 2016 में: -

(क) तालिका में राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के समय-मान से ऊपर के वेतन वाले पदों से संबन्धित अनुसूची II - क में, प्रथम कॉलम में आने वाली "त्रिपुरा" प्रविष्टि तथा दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित से प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः -

“त्रिपुरा

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 17
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक एवं सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू (वन्यजीव एवं पारिस्थितिक पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (परियोजना निर्माण, निगरानी और मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (प्रशासन और जन-संपर्क)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 15
मुख्य वनसंरक्षक (नियोजन एवं विकास)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (डबल्यूपी एवं सर्वेक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (अनुसंधान एवं प्रशिक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (संरक्षण)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (आईटी एवं सांख्यिकी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (नोडल अधिकारी – एफ़सीए)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
मुख्य वनसंरक्षक (ईएपी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 14
वन संरक्षक (वन्यजीव एवं पारिस्थितिक पर्यटन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (निगरानी एवं मूल्यांकन)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (स्थापना और एचआरडी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (परियोजना निर्माण और ईएपी)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (क्षेत्रीय समन्वय)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (सतर्कता और आरटीआई)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क
वन संरक्षक (प्रादेशिक-II)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर 13 क”

(ख) समय-मान में वेतन के अतिरिक्त विशेष भत्ते वाले पदों सहित राज्य सरकारों के अधीन भारतीय वन सेवा के वरिष्ठ वेतनमान में वेतन वाले पदों से संबंधित अनुसूची-II ख में, त्रिपुरा के अधीन आने वाली प्रविष्टि के लिए निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः:-

“उप वनसंरक्षक (मुख्यालय)
उप वनसंरक्षक (ईएपी)
उप वनसंरक्षक (i) निदेशक, क्लाउडेड लेपर्ड राष्ट्रीय उद्यान और (ii) निदेशक, बाइसन राष्ट्रीय उद्यान
उप वनसंरक्षक (वन उपयोग)
उप वनसंरक्षक (कार्य योजना प्रभाग-I और कार्य योजना प्रभाग-II)

उप वनसंरक्षक (अनुसंधान प्रभाग)
उप वनसंरक्षक (प्रशिक्षण प्रभाग)
उप वनसंरक्षक (नियोजन एवं विकास)
उप वनसंरक्षक (संरक्षण एवं एफसीए)
उप वनसंरक्षक (आईटी एवं सांख्यिकी)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, उत्तरी जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, धलाई जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, पश्चिमी जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, दक्षिणी जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, उनाकोटी जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, खोवाई जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, सिपाहीजाला जिला)
उप वनसंरक्षक (जिला वन अधिकारी, गोमती जिला)”

[फा. सं. 16016/03/2023 – एआईएस -II (ख)]

राजेश कुमार यादव, अवर सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम, दिनांक 28 सितम्बर, 2016 की सा.का.नि. 924 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित किए गए थे।

क्र. सं.	सा.का.नि. सं.	दिनांक
1.	1105अ	30.11.2016
2.	1107	30.11.2016
3.	172 अ	27.02.2017
4.	180 अ	28.02.2017
5.	206 अ	08.03.2017
6.	262 अ	17.03.2017
7.	1003(अ)	08.08.2017
8.	1036(अ)	18.08.2017
9.	1452(अ)	27.11.2017
10.	1537(अ)	21.12.2017
11.	1587(अ)	27.12.2017
12.	511(अ)	29.05.2018
13.	289(अ)	04.04.2019
14.	338 (अ)	23.05.2025
15.	408(अ)	24.06.2025
16.	575(अ)	25.08.2025
17.	608(अ)	08.09.2025

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS**(Department of Personnel and Training)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 19th January, 2026

G.S.R. 44(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951) the Central Government, in consultation with the Government of Tripura hereby makes the following rules further to amend the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016 namely:-

1. (i) These rules shall be called the Indian Forest Service (Pay) Amendment Rules, 2026.
(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette
2. In the Indian Forest Service (Pay) Rules, 2016:-
(a) In Schedule II- A Posts carrying pay above the Time Scale in the Indian Forest Service under the State Governments, in the Table, for the entry “Tripura” appearing in the first column and the corresponding entry in the second column, the following shall be substituted, namely:-

“Tripura

Principal Chief Conservator of Forests	Level 17 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests & CWLW (Wildlife & Eco-Tourism)	Level 15 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Project Formulation, Monitoring & Evaluation)	Level 15 in the Pay Matrix
Additional Principal Chief Conservator of Forests (Administration & Public Relations)	Level 15 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (Planning & Development)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (WP & Survey)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (Research & Training)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (Territorial)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (Protection)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (IT & Statistics)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (Nodal Officer-FCA)	Level 14 in the Pay Matrix
Chief Conservator of Forests (EAP)	Level 14 in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Wildlife & Eco-Tourism)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Monitoring & Evaluation)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Establishment & HRD)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Project Formulation & EAP)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Territorial Coordination)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Vigilance & RTI)	Level 13A in the Pay Matrix
Conservator of Forests (Territorial-II)	Level 13A in the Pay Matrix”

- (b) In Schedule-II B, Posts carrying pay in the Senior Scale of the Indian Forest Service under the State Governments including posts carrying special pay in addition to pay in the Time Scale for the entry Tripura, the following shall be substituted, namely:-

“Deputy Conservator of Forests (Head Quarters)
Deputy Conservator of Forests (EAP)
Deputy Conservator of Forests (i) Director of Clouded Leopard National Park and (ii) Director of Bison National Park
Deputy Conservator of Forests (Forests Utilization)
Deputy Conservator of Forests (Working Plan Division-I and Working Plan Division-II)
Deputy Conservator of Forests (Research Division)
Deputy Conservator of Forests (Training Division)
Deputy Conservator of Forests (Planning & Development)

Deputy Conservator of Forests (Protection & FCA)
Deputy Conservator of Forests (IT & Statistics)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, North District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, Dhalai District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, West District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, South District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, Unakoti District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, Khowai District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, Sepahijala District)
Deputy Conservator of Forests (District Forest Officer, Gomati District)”

[F. No. 16016/03/2023 - AIS-II (B)]

RAJESH KUMAR YADAV, Under Secy.

Note: The Principal Rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number GSR 924 (E) dated the 28th September, 2016

Sl.No.	GSR No.	Date
1.	1105E	30.11.2016
2.	1107	30.11.2016
3.	172 E	27.02.2017
4.	180 E	28.02.2017
5.	206 E	08.03.2017
6.	262 E	17.03.2017
7.	1003(E)	08.08.2017
8.	1036(E)	18.08.2017
9.	1452(E)	27.11.2017
10.	1537(E)	21.12.2017
11.	1587(E)	27.12.2017
12.	511(E)	29.05.2018
13.	289(E)	04.04.2019
14.	338 (E)	23.05.2025
15.	408(E)	24.06.2025
16.	575(E)	25.08.2025
17.	608(E)	08.09.2025